

परिपत्र

समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/परिसर निदेशक/मुख्य नियन्ता/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/सिस्टम मैनेजर/समन्वयक/संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता/अनुभागीय अधिकारी/निजी सचिव/प्रभारी अधिकारी को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपके विभाग/अनुभाग द्वारा समस्त सूचनाओं के प्रेषण में “सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति” (**Supplied under RTI**) वाली मुहर अंकित कर सूचनाओं का प्रेषण किया जाना आवश्यक है।

अतः समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचनाओं के प्रेषण में “सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति” (**Supplied under RTI**) अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कुलसंघिव
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।

पत्रांक: कुलसचिव कार्यालय / 2020/मंगलवारी/1626 दिनांक: 24/02/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- उक्त समस्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी ।
 - निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ ।
 - निजी सचिव, कुलसचिव / वित्त अधिकारी ।
 - सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर परिचालित करेंगे ।
 - नोडल अधिकारी / सहायक नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ।
 - गार्ड फाइल ।


कुलसिंहचौहान